

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the 'Committee on Publication Ethics'

Online ISSN:2584-184X



Research Article

रामराज्य: आधुनिक भारत के संबंध में डॉ.बी.आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण

रीतेश कुमार

अतिथि व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: रीतेश कुमार *

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20915519>

सारांश

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का रामराज्य संबंधी दृष्टिकोण पारंपरिक पौराणिक व्याख्या से भिन्न तथा आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। उनके लिए रामराज्य किसी धार्मिक या मिथकीय शासन व्यवस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित आदर्श समाज की संकल्पना था। अंबेडकर का मानना था कि एक आदर्श राज्य वही है जहाँ जाति, वर्ग, धर्म और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हों। विशेष रूप से उन्होंने दलितों और अन्य वंचित वर्गों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण को आवश्यक माना। अंबेडकर के रामराज्य की आधारशिला संविधानवाद और विधि के शासन (Rule of Law) पर टिकी हुई थी। उनके अनुसार राज्य का संचालन संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, जिससे नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन माना तथा सभी वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा की वकालत की। इसके साथ ही आर्थिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण पर बल देते हुए उन्होंने गरीबी और आर्थिक विषमता को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अंबेडकर का यह दृष्टिकोण मूलतः धर्मनिरपेक्ष था, जिसमें राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करे और किसी विशेष धर्म को शासन का आधार न बनाए। उन्होंने सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता तथा विविध समुदायों के बीच सहयोग को भी आदर्श समाज की अनिवार्य शर्त माना। साथ ही, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वंचित एवं हाशिए पर स्थित समुदायों की प्रभावी राजनीतिक भागीदारी को आवश्यक बताते हुए उन्होंने समावेशी लोकतंत्र की परिकल्पना प्रस्तुत की। इस प्रकार अंबेडकर का रामराज्य न्यायपूर्ण, समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज की ऐसी अवधारणा है, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक सुधार के विमर्श में अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई है।

Manuscript Information

- ISSN No: 2584-184X
- Received: 07-05-2026
- Accepted: 20-06-2026
- Published: 26-06-2026
- IJCRM:4(6); 2026: 249-254
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

कुमार र. रामराज्य: आधुनिक भारत के संबंध में डॉ. बी. आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(6):249-254.

Access this Article Online



www.mrrjournal.in

कुंजी शब्द: रामराज्य, आधुनिक भारत, डॉ.बी.आर. अंबेडकर, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्य।

प्रस्तावना

'रामराज्य' भारतीय राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो सामान्यतः भगवान राम के आदर्श शासन से प्रेरित एक न्यायपूर्ण, सुव्यवस्थित और कल्याणकारी राज्य की कल्पना को व्यक्त करती है। समय-समय पर विभिन्न विचारकों और नेताओं ने इस अवधारणा की अपनी-अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है।

इनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने रामराज्य को केवल एक पौराणिक आदर्श के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया। अंबेडकर की दृष्टि में रामराज्य का वास्तविक अर्थ एक ऐसे समाज की स्थापना है, जहाँ

प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हों और किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव के लिए स्थान न हो।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जो एक प्रख्यात विधिवेत्ता, समाज सुधारक तथा भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे; ने रामराज्य की अवधारणा को एक नए वैचारिक आयाम से देखा। उनका दृष्टिकोण किसी काल्पनिक आदर्श राज्य की सीमाओं से आगे बढ़कर भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं से जुड़ता है। अंबेडकर के विचारों में रामराज्य एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन जाता है, जहाँ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल आदर्श नहीं, बल्कि जीवन के व्यावहारिक मूल्य हैं। उनका मानना था कि किसी भी आदर्श समाज की स्थापना तब तक संभव नहीं है, जब तक जातिगत असमानता, सामाजिक बहिष्कार और संरचनात्मक अन्याय का अंत नहीं किया जाता। अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था:—“जाति ईंटों की दीवार या कंटीले तारों की बाड़ जैसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हिंदुओं को आपस में घुलने-मिलने से रोकती हो और जिसे इसलिए तोड़ना आवश्यक हो। जाति एक सोच है; यह मन की एक अवस्था है।” यह कथन उनके सामाजिक दर्शन का सार प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार, सामाजिक परिवर्तन केवल संस्थागत सुधारों से नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता में परिवर्तन से संभव है। इसी कारण उनके रामराज्य की परिकल्पना जाति-आधारित भेदभाव से मुक्त, समतामूलक और मानवीय समाज के निर्माण पर केंद्रित है।

अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित रामराज्य में संविधान सर्वोच्च मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह व्यवस्था कानून के शासन, नागरिक स्वतंत्रताओं और समान अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान न केवल सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण स्थापित करता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा और अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करता है। इस आदर्श राज्य में शासन की वैधता धार्मिक मान्यताओं से नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त, अंबेडकर का रामराज्य आर्थिक और शैक्षिक समानता को भी अत्यंत महत्त्व देता है। वे मानते थे कि सामाजिक न्याय तभी सार्थक हो सकता है जब समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक समान अवसर प्राप्त हों। इसलिए उनकी दृष्टि में राज्य का दायित्व केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि ऐसी नीतियाँ लागू करना भी है जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम कर सकें।

अंबेडकर की रामराज्य संबंधी अवधारणा का एक महत्वपूर्ण आधार धर्मनिरपेक्षता है। उनका आदर्श समाज विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है। इस व्यवस्था में राज्य किसी एक धर्म का पक्षधर नहीं होता, बल्कि सभी नागरिकों को समान सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार, उनका रामराज्य मूलतः बहुलतावादी, समावेशी और लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करता है।

अंततः, अंबेडकर का रामराज्य आधुनिक भारत के लिए एक वैचारिक आह्वान है, जो समाज को परंपरागत असमानताओं, रूढ़ियों और भेदभावपूर्ण संरचनाओं से मुक्त होने का संदेश देता है। यह केवल अतीत के किसी आदर्श शासन की स्मृति नहीं, बल्कि एक ऐसे भविष्य की कल्पना है जहाँ न्याय, समानता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन जाएँ। इस दृष्टि

से अंबेडकर का रामराज्य भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन की परियोजना के लिए एक प्रेरणादायी मार्गदर्शक सिद्ध होता है।

अंबेडकर का रामराज्य: सामाजिक न्याय और समानता का आदर्श

डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित रामराज्य की अवधारणा अपनी पारंपरिक पौराणिक व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक परिवर्तन और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का सशक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उनके लिए रामराज्य केवल एक आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि ऐसा सामाजिक ढाँचा था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान, अधिकार और अवसर प्राप्त हों। यह दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित है, जो भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं और भेदभावपूर्ण संरचनाओं को चुनौती देता है।

अंबेडकर के रामराज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जाति-आधारित भेदभाव का पूर्ण उन्मूलन है। उनका विश्वास था कि जब तक समाज जातिगत ऊँच-नीच और सामाजिक बहिष्कार से मुक्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक लोकतंत्र और न्याय की स्थापना संभव नहीं है। इस आदर्श व्यवस्था में दलितों, वंचितों और शोषित वर्गों को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त होता है तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में पूर्ण भागीदारी का अवसर मिलता है। इस प्रकार, अंबेडकर का रामराज्य मानव गरिमा को सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्थापित करता है। डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक प्रगति के मूल्यांकन में महिलाओं की स्थिति को भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना। उनके प्रसिद्ध कथन—“मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि उसकी महिलाओं ने कितनी प्रगति की है”—से स्पष्ट होता है कि वे लैंगिक समानता को सामाजिक न्याय का अभिन्न अंग मानते थे। उनके रामराज्य में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार, सामाजिक न्याय की उनकी अवधारणा केवल जातिगत समानता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लैंगिक न्याय और समावेशी विकास को भी अपने भीतर समाहित करती है।

अंबेडकर के अनुसार, संविधान इस आदर्श व्यवस्था की आधारशिला है। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों का संरक्षक है। यह शासन को न्यायपूर्ण दिशा प्रदान करता है तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। अंबेडकर का मानना था कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ तभी प्रभावी हो सकती हैं जब वे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करें और समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करें। उनकी दृष्टि में रामराज्य कोई काल्पनिक स्वप्न नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक सामाजिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्यायों को समाप्त कर एक समतामूलक समाज की स्थापना करना है। यह व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसरों की गारंटी देती है तथा उन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने का प्रयास करती है जो व्यक्तियों की उन्नति में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार, रामराज्य सामाजिक सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक भागीदारी का माध्यम बन जाता है।

अंबेडकर का आदर्शवादी रामराज्य सामाजिक परिवर्तन का एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जो अन्याय, भेदभाव और शोषण के

सभी रूपों को समाप्त करने की आकांक्षा रखता है। यह नागरिकों को केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं बनाता, बल्कि उन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने और सामूहिक कल्याण में योगदान देने के लिए भी प्रेरित करता है। उनकी यह अवधारणा आज के भारत में भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें स्मरण कराती है कि सामाजिक न्याय और समानता केवल नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि किसी भी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज की आधारभूत आवश्यकताएँ हैं। अतः कहा जा सकता है कि अंबेडकर का रामराज्य एक ऐसे समाज की परिकल्पना है जहाँ न्याय किसी विशेषाधिकार का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सुनिश्चित अधिकार हो। यह दृष्टिकोण आधुनिक भारत के लिए एक प्रेरणास्रोत है, जो समानता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

मिथक और रूपक से परे: अंबेडकर की रामराज्य की पुनर्व्याख्या

डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत रामराज्य की अवधारणा पारंपरिक धार्मिक और पौराणिक व्याख्याओं से आगे बढ़कर एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। उनके विचारों में रामराज्य केवल अतीत के किसी आदर्श शासन की स्मृति नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज की परिकल्पना है जो न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित हो। इस प्रकार अंबेडकर रामराज्य को मिथकीय आख्याओं और प्रतीकात्मक अर्थों की सीमाओं से मुक्त कर उसे सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण की परियोजना के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

अंबेडकर की दृष्टि में रामराज्य का वास्तविक अर्थ एक ऐसे समाज की स्थापना है जहाँ जाति, जन्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव का पूर्णतः उन्मूलन हो। वे मानते थे कि सामाजिक न्याय के बिना किसी भी आदर्श राज्य की कल्पना अधूरी है। इसलिए उनके द्वारा पुनर्परिभाषित रामराज्य का केंद्रबिंदु सामाजिक समानता और वंचित वर्गों का सशक्तीकरण है। इस वैकल्पिक दृष्टिकोण में दलितों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य उपेक्षित समुदायों को सम्मानजनक जीवन, समान अवसर और सामाजिक सहभागिता का अधिकार प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप, रामराज्य एक ऐसे समावेशी समाज का प्रतीक बन जाता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार और संरक्षित किया जाता है।

इस पुनर्व्याख्या में भारतीय संविधान को विशेष महत्त्व प्राप्त है। अंबेडकर के अनुसार संविधान केवल शासन संचालन का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक आदर्श इस नए रामराज्य की आधारशिला बनते हैं। कानून का शासन इस व्यवस्था का प्रमुख तत्व है, जो नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है तथा सत्ता के मनमाने प्रयोग पर नियंत्रण स्थापित करता है। इस प्रकार अंबेडकर का रामराज्य धार्मिक या नैतिक आदर्शों के बजाय संवैधानिक मूल्यों पर आधारित आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करता है।

अंबेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण से भी जोड़ता है। उनके अनुसार, किसी भी समाज में

वास्तविक समानता तभी स्थापित हो सकती है जब सभी नागरिकों को शिक्षा, संसाधनों और आर्थिक अवसरों तक समान पहुँच प्राप्त हो। इसलिए उनके रामराज्य में सामाजिक कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक भागीदारी को विशेष महत्त्व दिया गया है। यह व्यवस्था समाज के उन वर्गों को सशक्त बनाने का प्रयास करती है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से विकास की मुख्यधारा से वंचित रखा गया था।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी अंबेडकर की रामराज्य संबंधी अवधारणा का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब समाज के सभी वर्ग निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में समान रूप से भाग ले सकें। इसलिए वे राजनीतिक सहभागिता को सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम मानते थे। उनके आदर्श राज्य में वंचित समुदायों की आवाज़ को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाएँ अधिक समावेशी और उत्तरदायी बनती हैं।

अंबेडकर की रामराज्य संबंधी पुनर्व्याख्या केवल एक वैचारिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय आह्वान है। यह नागरिकों को सामाजिक अन्याय, भेदभाव और असमानता के विरुद्ध संघर्ष करने तथा अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टिकोण में रामराज्य किसी काल्पनिक आदर्श का प्रतीक नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसे सामाजिक लक्ष्य में परिवर्तित हो जाता है जिसकी प्राप्ति लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक नैतिकता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से संभव है। अतः कहा जा सकता है कि अंबेडकर की रामराज्य संबंधी अवधारणा भारतीय सामाजिक चिंतन में एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक हस्तक्षेप है। यह पारंपरिक मिथकीय व्याख्याओं से आगे बढ़कर रामराज्य को सामाजिक न्याय, समानता, लोकतांत्रिक सहभागिता और मानव गरिमा पर आधारित समाज के रूप में पुनर्स्थापित करती है। उनके विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रासंगिक हैं और एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत करते हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अधिकार और अवसरों की समान उपलब्धता सुनिश्चित हो।

संवैधानिक परिपेक्ष्य: अंबेडकर के रामराज्य में कानून और व्यक्तिगत अधिकार

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की रामराज्य संबंधी अवधारणा का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार संवैधानिक शासन और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा है। उनके विचार में आदर्श राज्य की स्थापना किसी धार्मिक या पौराणिक व्यवस्था के माध्यम से नहीं, बल्कि संविधान और कानून के शासन के माध्यम से संभव है। इस दृष्टिकोण में रामराज्य एक काल्पनिक या आध्यात्मिक आदर्श न रहकर एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लेता है, जो न्याय, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। अंबेडकर के अनुसार, किसी भी सभ्य समाज की स्थिरता और प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिकों के अधिकार किस सीमा तक सुरक्षित और संरक्षित हैं।

अंबेडकर संविधान को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन मानते थे। उनके लिए संविधान केवल शासन संचालन का कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि वह एक नैतिक और सामाजिक संकल्प भी था, जिसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना करना है। संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व

के आदर्श उनके रामराज्य की आधारशिला हैं। इसी कारण उन्होंने संवैधानिक नैतिकता को लोकतांत्रिक जीवन का आवश्यक तत्व माना। उनके अनुसार, राज्य की शक्ति किसी व्यक्ति या समूह की इच्छा पर आधारित न होकर संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए।

कानून का शासन (Rule of Law) अंबेडकर के रामराज्य का केंद्रीय तत्व है। वे ऐसी शासन-व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें सत्ता का प्रयोग मनमाने ढंग से न होकर विधिसम्मत और उत्तरदायी तरीके से किया जाए। कानून की सर्वोच्चता न केवल शासन को वैधता प्रदान करती है, बल्कि नागरिकों को सत्ता के दुरुपयोग और अत्याचार से भी सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार, संविधान और कानून का शासन सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक स्थिरता के प्रमुख साधन बन जाते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में व्यक्तिगत अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आत्मा हैं। उनका रामराज्य प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने की वकालत करता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का आधार प्रदान करती है तथा उन्हें भेदभाव, शोषण और सामाजिक बहिष्कार से सुरक्षा देती है। इस प्रकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता उनके आदर्श राज्य के दो परस्पर पूरक स्तंभ बन जाते हैं।

सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अंबेडकर ने मानसिक और वैचारिक मुक्ति को भी अत्यंत आवश्यक माना। उन्होंने कहा था:— “हर पुरुष और महिला को शास्त्रों की गुलामी से मुक्त करें, उनके मन से शास्त्रों पर आधारित हानिकारक विचारों को मिटा दें और वे साथ भोजन करेंगे तथा आपस में विवाह करेंगे।” इस कथन में सामाजिक परिवर्तन की उनकी मूल अवधारणा निहित है। अंबेडकर का मानना था कि केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं हैं; जब तक समाज की चेतना और सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वास्तविक समानता स्थापित नहीं की जा सकती। इसलिए उनका रामराज्य सामाजिक और वैचारिक मुक्ति का भी प्रतीक है।

अंबेडकर द्वारा परिकल्पित रामराज्य विविधताओं को स्वीकार करने वाला तथा सभी नागरिकों की स्वतंत्रताओं का सम्मान करने वाला समाज है। इसमें संविधान अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा कवच और सामाजिक मुक्ति के साधन, दोनों की भूमिका निभाता है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवीय गरिमा और नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के विकास का समान अवसर प्राप्त हो। अतः अंबेडकर का संवैधानिक रामराज्य न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। यह न केवल कानून की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस दृष्टि से उनका रामराज्य भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रेरणादायी आदर्श है, जो संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और मानवीय उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है।

आर्थिक सशक्तीकरण और शिक्षा: अंबेडकर के रामराज्य की आधारशिलाएँ

डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा परिकल्पित रामराज्य केवल सामाजिक और राजनीतिक न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक

सशक्तीकरण और शिक्षा को भी एक न्यायपूर्ण समाज की अनिवार्य आधारशिलाओं के रूप में स्थापित करता है। अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज में वास्तविक समानता तभी संभव है जब उसके सभी नागरिकों को आर्थिक अवसरों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्राप्त हो। इस दृष्टि से उनका रामराज्य पौराणिक आदर्शों से आगे बढ़कर एक ऐसे समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करता है, जिसमें सामाजिक न्याय का आधार आर्थिक और शैक्षिक समानता हो। अंबेडकर के विचारों में आर्थिक सशक्तीकरण सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। उनका मानना था कि गरीबी, आर्थिक निर्भरता और संसाधनों तक असमान पहुँच सामाजिक असमानताओं को और अधिक गहरा करती हैं। इसलिए उनके आदर्श राज्य में ऐसी नीतियों और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जो समाज के वंचित और हाशिए पर स्थित वर्गों, विशेषकर दलितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों, को विकास की मुख्यधारा से जोड़ सकें। आर्थिक अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण न केवल गरीबी उन्मूलन में सहायक होता है, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना को भी सुदृढ़ करता है। इस प्रकार आर्थिक सशक्तीकरण अंबेडकर के रामराज्य में सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा की स्थापना का महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है।

अंबेडकर की दृष्टि में शिक्षा सामाजिक मुक्ति और प्रगतिशील परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली साधन है। उनका प्रसिद्ध आह्वान है— “शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो।” इस तथ्य को रेखांकित करता है कि शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और आत्मसम्मान के विकास का आधार है। वे मानते थे कि शिक्षा व्यक्ति को अज्ञान, रूढ़िवादिता और सामाजिक बंधनों से मुक्त कर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए उनके रामराज्य में शिक्षा को एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में देखा गया है, जो प्रत्येक नागरिक को उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उपलब्ध होनी चाहिए।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच अंबेडकर के आदर्श समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उनके अनुसार, शैक्षिक अवसरों में असमानता सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को स्थायी रूप दे देती है। इसलिए राज्य का दायित्व है कि वह ऐसी व्यवस्था विकसित करे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और क्षमता के विकास का अवसर प्राप्त हो। शिक्षा के माध्यम से न केवल व्यक्तियों का बौद्धिक विकास होता है, बल्कि एक जागरूक, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक नागरिक समाज का निर्माण भी संभव होता है। अंबेडकर के रामराज्य में आर्थिक सशक्तीकरण और शिक्षा परस्पर पूरक तत्व हैं। आर्थिक अवसर व्यक्ति को आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं, जबकि शिक्षा उसे उन अवसरों का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता देती है। इन दोनों के समन्वय से ऐसा समाज निर्मित होता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने, अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का अवसर प्राप्त होता है। यह दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामूहिक सामाजिक प्रगति को भी सुनिश्चित करता है।

इस प्रकार अंबेडकर का रामराज्य आर्थिक न्याय और शैक्षिक समानता पर आधारित एक समावेशी समाज की कल्पना प्रस्तुत करता है। इस व्यवस्था में आर्थिक विषमताओं को कम करने तथा शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के प्रयास सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख साधन बन

जाते हैं। परिणामस्वरूप, एक ऐसा समाज विकसित होता है जहाँ व्यक्ति की प्रगति उसके जन्म, जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता, परिश्रम और उपलब्ध अवसरों से निर्धारित होती है। अतः कहा जा सकता है कि अंबेडकर के रामराज्य की अवधारणा में आर्थिक सशक्तीकरण और शिक्षा केवल विकास के उपकरण नहीं हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक समानता की आधारभूत शर्तें हैं। उनके विचार आज भी भारतीय समाज के लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जिसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मान, अवसर और उन्नति का समान अधिकार प्राप्त हो।

विविधता में सद्भाव: रामराज्य के संदर्भ में अंबेडकर का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण

डॉ. भीमराव अंबेडकर का रामराज्य संबंधी दृष्टिकोण पारंपरिक पौराणिक व्याख्याओं से अलग एक नवीन और समावेशी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। उनकी कल्पना का केंद्र धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव है, जो विविधता में एकता और शांति की स्थापना पर बल देता है। अंबेडकर की धर्मनिरपेक्ष सोच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह राज्य और धर्म को एक-दूसरे से स्वतंत्र मानती है। उनके अनुसार, शासन का कार्य किसी विशेष धर्म का पक्ष लेना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की समान रूप से रक्षा करना है। इसी आधार पर उनके द्वारा परिकल्पित रामराज्य एक ऐसा समाज बन जाता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, आस्था और विश्वास का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार प्राप्त हो तथा उसके विचारों का सम्मान किया जाए।

अंबेडकर का रामराज्य धार्मिक विविधता को विभाजन का नहीं, बल्कि सामाजिक समृद्धि का आधार मानता है। यह ऐसा वातावरण निर्मित करता है जहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग परस्पर सम्मान, सहिष्णुता और सहयोग की भावना के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ मतभेदों को संघर्ष का कारण नहीं, बल्कि समाज की बहुलतावादी पहचान का महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है। इस आदर्श व्यवस्था में सभी धर्मों के अनुयायी समान अवसरों और अधिकारों के साथ समाज के विकास तथा जनकल्याण के लिए मिलकर कार्य करते हैं। अंबेडकर का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण लोगों को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो संवाद, पारस्परिक सम्मान और सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार, अंबेडकर द्वारा पुनर्परिकल्पित रामराज्य केवल एक पौराणिक आदर्श नहीं, बल्कि एक ऐसे लोकतांत्रिक और समावेशी समाज की कल्पना है जहाँ विविधताओं का सम्मान किया जाता है और सभी नागरिक समान गरिमा के साथ जीवन जीते हैं। उनका यह दृष्टिकोण हमें यह संदेश देता है कि वास्तविक सामाजिक सद्भाव तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विचारों, विश्वासों और अधिकारों का समान रूप से सम्मान किया जाए।

निष्कर्ष

डॉ. बी. आर. अंबेडकर के दृष्टिकोण से रामराज्य की अवधारणा का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने इस पारंपरिक विचार को एक नए सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक अर्थ प्रदान किए। अंबेडकर के लिए रामराज्य केवल पौराणिक आदर्श शासन की स्मृति

नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज की परिकल्पना थी जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो। उनकी व्याख्या रामराज्य को मिथकीय कल्पनाओं के दायरे से निकालकर सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण के एक सशक्त प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करती है। अंबेडकर के रामराज्य का केंद्रीय उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना है। उनकी दृष्टि में किसी भी आदर्श समाज की आधारशिला तभी मजबूत हो सकती है जब जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और संरचनात्मक असमानताओं का उन्मूलन किया जाए। इस संदर्भ में उनका रामराज्य वंचित, शोषित और हाशिए पर स्थित समुदायों के सम्मान, अधिकारों और गरिमा की पुनर्स्थापना का माध्यम बनता है। यह व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने तथा उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने का प्रयास करती है।

संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन को अंबेडकर ने अपने आदर्श राज्य की आधारशिला माना। उनके अनुसार, संविधान केवल शासन संचालन का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक है। कानून की सर्वोच्चता नागरिकों को मनमानी, भेदभाव और सत्ता के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करती है तथा एक उत्तरदायी और न्यायपूर्ण शासन-व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित करती है। इस प्रकार, अंबेडकर का रामराज्य संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक आचरण पर आधारित आधुनिक राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। आर्थिक सशक्तीकरण और शिक्षा को भी अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन माना। उनके विचार में आर्थिक अवसरों तक समान पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सामाजिक असमानताओं को कम करने तथा व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है। इन दोनों आधारों के माध्यम से वे ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सके और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दे सके। अंबेडकर की रामराज्य संबंधी अवधारणा का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद है। वे ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखे और प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था तथा विश्वास के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। इस प्रकार उनका रामराज्य विविधताओं का सम्मान करने वाला, सहिष्णुता को प्रोत्साहित करने वाला तथा सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ करने वाला समाज है।

अंततः, अंबेडकर का रामराज्य भारतीय समाज के लिए एक नैतिक और वैचारिक दिशा प्रदान करता है। यह अवधारणा हमें उन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं की आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए प्रेरित करती है जो असमानता और अन्याय को बनाए रखती हैं। साथ ही, यह एक ऐसे समाज के निर्माण का आह्वान करती है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान, अवसर और अधिकार प्राप्त हों। इस दृष्टि से अंबेडकर का रामराज्य केवल एक वैचारिक आदर्श नहीं, बल्कि एक सतत सामाजिक परियोजना है, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की बहसों में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। उनके विचार हमें यह स्मरण कराते हैं कि किसी भी प्रगतिशील समाज का वास्तविक आधार न्याय, मानवीय गरिमा, समान अवसर और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता निहित होता है।

संदर्भ सूची

1. रॉडिक्स वी., संपादक। द एसोशियल राइटिंग्स ऑफ बी. आर. अम्बेडकर। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2002।
2. अम्बेडकर बी. आर. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 1936।
3. अम्बेडकर बी. आर. द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी: इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। लंदन: पी. एस. किंग एंड सन; 1923।
4. अम्बेडकर बी. आर. थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नई दिल्ली: थैकर एंड कंपनी; 1955।
5. अम्बेडकर बी. आर. द अनटचेबल्स: हू वर दे एंड व्हाइ दे बिकेम अनटचेबल्स? नई दिल्ली: अमृत बुक कंपनी; 1948।
6. कीर धनंजय। डॉ. अंबेडकर: लाइफ एंड मिशन। मुंबई: पॉपुलर प्रकाशन; 1954।
7. कामथ एम. वी., खेर वी. बी. बी. आर. अम्बेडकर: द क्रेस्ट फॉर जस्टिस। मुंबई: भारतीय विद्या भवन; 1990।
8. अम्बेडकर बी. आर. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट: एन अनडिलिवर्ड स्पीच। दिल्ली: आर्नोल्ड पब्लिशर्स; 1990।
9. फॉर्स्टर ई. एम. ए. पैसेज टू इंडिया। लंदन: पेंगुइन बुक्स; 1989।
10. जब्बार नाहिमा। नायपॉल्स इंडिया: हिस्ट्री एंड मिथ ऑफ एंटीक्विटी। टेक्सुअल प्रैक्टिस; 2006।
11. नायपॉल वी. एस. इंडिया: ए मिलियन म्युटिनीज नाउ। लंदन: मिनर्वा; 1991।
12. बसु डी. डी. भारत का संविधान। नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस; (वर्ष उपलब्ध नहीं)।
13. ढसाल नामदेव। नाउ नाउ: एन एंथोलॉजी ऑफ दलित लिटरेचर। अनुवादक: मुल्कराज आनंद एवं एलेनोर जेलियट। दिल्ली: ज्ञान पब्लिशिंग हाउस; 1992।
14. ज्यूमॉन्ट लुइस। फॉर ए सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। कंट्रीब्यूशन्स टू इंडियन सोशियोलॉजी। 1957; 1:7-23।

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the Author

रीतेश कुमार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय शिक्षाविद् हैं तथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। उनकी रुचि भारतीय राजनीति, लोक प्रशासन, लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं समसामयिक राजनीतिक विषयों के अध्ययन एवं शोध में है। वे उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति समर्पित हैं।